मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 81/2019 वादपत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट. 1955

1. श्री मुकेश पिता नारायण जी जाति जणवा उम्र वयस्क निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी

:- वादी

बनाम

1. श्री नारायण पिता बाबरू जी जाति जणवा उम्र वयस्क निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
2. श्री गणपत पिता नारायण जी जाति जणवा उम्र वयस्क निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
3. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार बड़ीसादड़ी

:- प्रतिवादीगण

प्रकरण सख्याँ 81/2019 वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.का.अधि. वादी की
और से अधिवक्ता श्री राजेश व्यास ,प्रतिवादी की और से राजीनामा में यह वाद आज दिंनाक
को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी
जाती है कि मोजा बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी मे खतोनी सख्याँ 128 स्थित है जिसमे :- आ.न.
16 रकबा 0.26 हैक्टयर ,आ.न.402 रकबा 0.82 हैक्टयर, आ.न. 706 रकबा 0.41 हैक्टयर,
आ.न. 958 रकबा 0.27 हैक्टयर, आ.न.1216 रकबा 0.71 हैक्टयर, आ.न.1539 रकबा 0.
78 हैक्टयर, आ.न.1543 रकबा 0.69 हैक्टयर, आ.न.1580 रकबा 0.01 हैक्टयर, आ.न.
1581रकबा 0.36 हैक्टयर ,आ.न.1583 रकबा 0.78 हैक्टयर ,आ.न.1593 रकबा 0.39 हैक्टयर,
आ.न.1594 रकबा 0.45 हैक्टयर, आ.न.1635 रकबा 0.55 हैक्टयर, आ.न.1663 रकबा 0.66
हैक्टयर कुल किता :- 14 रकबा :- 7.12 हैक्टयर मे वादी मुकेश 1/3 हिस्सा प्रतिवादी न. 1
नारायण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न. 2 गणपत का 1/3 हिस्सा हिस्सा घोषित किया जाने का
आदेश दिया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा।

इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे।
इस वाद के खर्चे X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X को दी जावे।
यह आज दिनांक 27-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर बड़ीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2022/254 दिनांक : 27.01.2022

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट
इस न्यायालय को भिजवायें।

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर बड़ीसादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.02.10 13:40:21 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 81 /2019 वादपत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट. 1955

1. श्री मुकेश पिता नारायण जी जाति जणवा उम्र वयस्क निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी

:- वादी

बनाम

1. श्री नारायण पिता बाबरू जी जाति जणवा उम्र वयस्क निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
2. श्री गणपत पिता नारायण जी जाति जणवा उम्र वयस्क निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
3. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार बड़ीसादड़ी

:- प्रतिवादीगण

// निर्णय//

यह की सक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है की वादी मुकेश पिता नारायण जी जाति जणवा उम्र वयस्क निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी ने एक वादपत्र धारा 88 ,209 रा.का.अधि.का इस आशय का प्रस्तुत किया की मोजा बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी मे खतोनी सख्याॅ नयीयह की मोजा बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी मे खतोनी सख्याॅ नयी 128 स्थित है जिसमे :- आ.न. 16 रकबा 0.26 हैक्टयर ,आ.न.402 रकबा 0.82 हैक्टयर, आ.न. 706 रकबा 0.41 हैक्टयर, आ.न. 958 रकबा 0.27 हैक्टयर, आ.न.1216 रकबा 0.71 हैक्टयर, आ.न.1539 रकबा 0.78 हैक्टयर, आ. न.1543 रकबा 0.69 हैक्टयर, आ.न.1580 रकबा 0.01 हैक्टयर, आ.न.1581रकबा 0.36 हैक्टयर ,आ.न.1583 रकबा 0.78 हैक्टयर ,आ.न.1593 रकबा 0.39 हैक्टयर, आ.न.1594 रकबा 0.45 हैक्टयर, आ.न.1635 रकबा 0.55 हैक्टयर, आ.न.1663 रकबा 0.66 हैक्टयर कुल किता :- 14 रकबा :- 7.12 हैक्टयर स्थित हो कर वर्तमान मे प्रतिवादी नारायण के नाम स्थित है तथा वादी का पारिवारीक सजरा निम्नानुसार है

बाबरू

|

नारायण

|

|--------------|

मुकेश गणपतलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.02.10 13:40:21 IST
Reason: SelfAttested

यह की बाबरू जी मुल कर्ता खान्दान हो कर फोत हो चुके है तथा प्रतिवादी न. 1 नारायण उनका पुत्र है तथा नारायण जी के 2 पुत्र वादी मुकेश व गणपतलाल है तथा कलम न. 1 मे दर्ज आराजीयात वादी की पैत्रक पुश्तेनी आराजी हो कर उक्त आराजी मे वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 नारायण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न. 2 गणपत का 1/3 हिस्सा हो कर पैत्रक पुश्तेनी आराजी होने से उक्त आराजी का उक्त हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण ने अपने- अपने हिस्से का बटवारा कर अपने अपने भाग पर वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्से कि देख रेख वादी व प्रतिवादी ही कर रहे है तथ भविष्य मे कोई विवाद न हो इस कारण वादी अपने हिस्से को पुश्तेनी आराजी से अलग कराना चाहता है जिससे कि लोन लेने व भुमि को

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

उपजाउ करने व अन्य कार्य मे सुविधा हो सके तथा राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम नही होने से वादी अपने 1/3 हिस्से की घोषणा अपने नाम कराने का अधिकारी है तथा इस बाबत वाद प्रस्तुत है तथा वाद वादी डिक्री किया जाने का अनुरोध किया।

बाद जांच प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को समन से तलब किया गया तथा प्रतिवादी न्यायालय मे उपस्थिती दर्ज कराई व राजीनामा होना भी जाहीर किया तथा राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे तश्दिक किया गया तथा तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण मे जरिये तहसीलदार पटवार हल्का से सजरा रिपोर्ट तलब कि गई तथा उक्त रिपोर्ट से वाद पत्र की सत्यता का पता चलता है तथा तथा वाद पत्र मे प्रतिवादी कि पत्नि नर्बदाबाई ने अपना शपथपत्र भी प्रस्तुत किया व अपने को पति के जीवनकाल मे केवल भरणपोषण की अधिकारी माना व वाद पत्र डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति जताई तथा प्रकरण मे राजीनामा हो जाने से तनकीयात कायम नही कि जा कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज तथा लोक अदालत कि भावना से राजीनामा होने से अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के तथ्यो को दौहराते हुए तथा दस्तावेजो की और पटवार हल्का कि रिपोर्ट कि और ध्यान दिलाया व वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

न्यायालय के द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया जा कर दस्तावेज व पटवार हल्का रिपोर्ट व राजीनामा पर मनन किया गया तथा वाद वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा आदेश दिया जाता है कि वाद पत्र मे वर्णित आराजी मोजा बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी मे खतोनी सख्यॉ नयी खतोनी सख्यॉ नयी128 स्थित है जिसमे :- आ.न. 16 रकबा 0.26 हैक्टयर ,आ.न.402 रकबा 0.82 हैक्टयर, आ.न. 706 रकबा 0.41 हैक्टयर, आ.न. 958 रकबा 0.27 हैक्टयर, आ.न.1216 रकबा 0.71 हैक्टयर, आ.न.1539 रकबा 0.78 हैक्टयर, आ.न.1543 रकबा 0.69 हैक्टयर, आ.न.1580 रकबा 0.01 हैक्टयर, आ.न.1581 रकबा 0.36 हैक्टयर ,आ.न.1583 रकबा 0.78 हैक्टयर ,आ.न.1593 रकबा 0.39 हैक्टयर, आ.न.1594 रकबा 0.45 हैक्टयर, आ.न.1635 रकबा 0.55 हैक्टयर, आ.न.1663 रकबा 0.66 हैक्टयर कुल किता :- 14 रकबा :- 7.12 हैक्टयर मे वादी मुकेश 1/3 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 नारायण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न. 2 गणपत का 1/3 हिस्सा हिस्सा घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा।

पर्चा डिक्री अलग से जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर

(बिन्दु बाला राजावत)RAS
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.02.10 13:40:21 IST
Reason: SelfAttested